झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा–2021 (विज्ञापन संख्या–01/2021) के संबंध में आवश्यक सूचना।

L.P.A. No.-13/2022 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पश्चात् झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा–2021, (विज्ञापन संख्या–01/2021) दिनांक–11.03.2022 से दिनांक–13.03.2022 तक राँची जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में दो पालियों में निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित है :–

दिनांक	प्रथम पाली (पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 01:00 बजे तक)	द्वितीय पाली (पूर्वाहन 02:00 बजे से अपराहन 05:00 बजे तक)
11.03.2022	प्रथम पत्र–(I)	द्वितीय पत्र–(II)
12.03.2022	तृतीय पत्र–(III)	चतुर्थ पत्र–(IV)
13.03.2022	पंचम पत्र–(V)	षष्ठम पत्र–(VI)

मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, प्रवेश–पत्र एवं उपस्थिति पत्रक से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ निम्नवत् हैं:–

1. इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।
2. आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर प्रवेश–पत्र एवं सभी पत्रों के उपस्थिति पत्रक डाउनलोड कर परीक्षा मे शामिल होने की व्यवस्था की गई है।
3. उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक (Provisional) रूप से प्रवेश–पत्र निर्गत किये जायेंगे। किसी भी स्तर पर जाँच या सत्यापन के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण पाये जाने पर अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी तथा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
4. **मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में भाषा एवं साहित्य विषय हेतु चयनित विषय के आधार पर ही प्रवेश–पत्र निर्गत किये जायेंगे एवं तदनुसार मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी।**
5. अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर अपनी **जन्म–तिथि एवं प्रारंभिक परीक्षा का रौल नम्बर** डालकर दिनांक–**28.02.2022** से प्रवेश–पत्र एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश–पत्र एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड नहीं होने की स्थिति मे आयोग के हेल्पलाईन नं0+919431301419/+919431301636 पर कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा आयोग के पूछताछ काउन्टर पर **प्रवेश–पत्र जारी होने की तिथि से दिनांक–08.03.2022** तक कार्यदिवस में **अपना नाम, पिता का नाम, जन्म–तिथि एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर** के साथ आवेदन देकर प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
6. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किए गए प्रवेश–पत्र, उपस्थिति पत्रक एवं परीक्षा केन्द्र की जाँच कर लें। यदि उनमें कोई त्रुटि हो तो आयोग के पूछताछ काउन्टर पर **प्रवेश–पत्र जारी होने की तिथि से दिनांक–09.03.2022** तक लिखित आवेदन देकर त्रुटि सुधार करा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. दिव्यांग कोटे के परीक्षार्थी के लिए निदेश निम्नवत् है:–

(i) The Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) in the categories of blindness, locomotor disability (both arm affected – BA) and cerebral palsy will be provided the facility of scribe, if desired by the candidate. In case of other category of Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) as defined under Section 2 (r) of the RPWD Act, 2016, the facility of scribe will be allowed to such candidates on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write and scribe is essential to write examination on behalf from the Civil Surgeon.

(ii) The qualification of the scribe will not be more than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of the scribe should always be matric or above.

(iii) The Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) in the category of blindness locomotor disability (both arms affected-BA) and cerebral palsy will be allowed Compensatory Time of twenty minutes per hour of the examination. In case of other categories of Persons with Benchmark Disabilities (PwBD), this facility, will be provided on production of a certificate from the Civil Surgeon to the effect that the person concerned has physical limitations to write.

कृ0पृ0उ0

8. दिव्यांग कोटि के इच्छुक अभ्यर्थी (कम से कम 40% संगत निःशक्तता) श्रुतलेखक (Scribe) हेतु (जिन्हें यह सुविधा देय है) वे दिनांक–09.03.2022 तक प्रवेश पत्र में निर्धारित केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक को अपने प्रवेश पत्र, वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र, वैध पहचान पत्र के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केन्द्राधीक्षक द्वारा इस निमित्त यथा–निर्देशित व्यवस्था की जानी है। श्रुतलेखक (Scribe) की शैक्षणिक योग्यता आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता (स्नातक या समकक्ष) से कम होनी चाहिए। अभ्यर्थी श्रुतलेखक (Scribe) की व्यवस्था स्वयं करेंगे तथा केन्द्राधीक्षक द्वारा इस संबंध में कोई व्यय का वहन नहीं किया जाएगा।

9. सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किए गये प्रवेश–पत्र, संबंधित सभी पत्र का उपस्थिति–पत्रक अपने परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ लाएँ अन्यथा उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा।

10. अभ्यर्थी प्रवेश–पत्र में दिए गए निदेश के अनुसार अपने साथ प्रत्येक उपस्थिति पत्रक हेतु **02–02 (दो–दो) Stamp Size** फोटोग्राफ एवं वैध पहचान–पत्र परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ लाएँ।

11. **अभ्यर्थी ओ0एम0आर0(OMR) आधारित उत्तर–पुस्तिका** के मुखपृष्ठ पर आवश्यक जानकारियाँ प्रविष्टि करने के पूर्व प्रवेश–पत्र, उपस्थिति–पत्रक एवं उत्तरपुस्तिका में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढकर ही प्रविष्टि अंकित करें। उत्तर–पुस्तिका में वर्णित निदेशानुसार अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जाएगी एवं अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

12. परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन या अन्य कोई Electronic Gadget रखने की अनुमति नहीं है। अतः अभ्यर्थियों को निदेशित किया जाता है कि वे परीक्षा केन्द्र पर कागज, पर्ची, मोबाईल फोन सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ यथाः बैग, पाठ्य पुस्तिकाएँ, खाद्य सामग्री एवं अस्त्र–शस्त्र इत्यादि साथ में नहीं लाए। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ दण्डात्मक/अनुशासनिक कार्रवाई के साथ–साथ भविष्य में होनेवाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

13. अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुँचकर अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जाएँ। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पश्चात् आनेवाले अभ्यर्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

14. **अभ्यर्थियों को सभी पत्रों की परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा अन्यथा मुख्य परीक्षा की मेधा सूची में ऐसे अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।**

15. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।